न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2021 (रसद)
पंजीयन दिनांक 05.04.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/168

राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री जितेन्द्र पिता लाल साहब निवासी कोलवारी, जिला जौनपुर (उ. प्र.)
2-श्री मदन लाल पिता भंवर लाल खटीक निवासी वलीमगरी, मंगलवाड़ हाल शम्भूपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.)

-विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत

उपस्थितिः- 1-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2-श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी की दिनांक 09.02.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर मैं हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा एवं शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक कपासन के साथ मौके पर ममता होटल बोजुन्दा के पास स्थित स्वदेशी बायो डीजल पम्प पहुंचा। मौके पर बायो डीजल के डिस्पेन्सिंग यूनिट के पास टैंकर संख्या GJ 10 TV 7923 खड़ा पाया गया। निरीक्षण करने पर पाया कि बायो डीजल पम्प की डिस्पेन्सिंग यूनिट ए-1 का नोजल उक्त टैंकर के खण्ड-4 से जुड़ा हुआ है। मौके पर उपस्थित टैंकर चालक श्री जितेन्द्र पुत्र लाल साहब जाति बिन्द निवासी 10 कोलवारी जिला जौनपुर से पूछताछ कर बयान लिये जिसमें उसने बताया कि उक्त टैंकर मेरे द्वारा नाना चिलोड़ा अहमदाबाद से भरा हुआ दूसरे ड्राईवर से प्राप्त किया जिसने मुझे बताया कि आपके मोबाईल पर जहां से फोन आयेगा वहां पर इस टैंकर को खाली करना है उसके पश्चात् मेरे मोबाईल पर फोन आने पर चित्तौड़गढ़ में उदयपुर-जयपुर हाईवे स्थित होटल ममता के पास बने हुए स्वदेशी बायो डीजल पम्प पर पहुंचा और बायो डीजल पम्प पर बने हुए भूमिगत टैंक में

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

टैंकर को खाली करके सो गया। रात को लगभग 2-3 बजे पेट्रोल पम्प के संचालक आये और मुझे जगाकर टैंकर को डिस्पेन्सिंग यूनिट के पास लगाने को कहा। मैंने टैंकर को डिस्पेन्सिंग यूनिट के नोजल ए-1 से टैंकर के तीन खण्डों को पूरा भर दिया और चौथे खण्ड में पेट्रोलियम पदार्थ भरते समय पुलिस पहुंच गई। इस पर ड्राईवर से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व ट्रांसफर के आवश्यक दस्तावेज मांगने पर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। उसके पश्चात् मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसने अपना नाम मदनलाल पिता भंवरलाल खटीक निवासी वली मंगरी मंगलवाड हाल शम्भूपुरा तथा स्वयं को बायो डीजल पम्प का मालिक बताया। संचालक श्री मदनलाल खटीक से पूछा गया कि उक्त पेट्रोल पम्प के दोनों नोजलों को ब्रास सील से दिनांक 22.12.2020 को जिला रसद अधिकारी के द्वारा सील किया गया था उसके बावजूद डिस्पेन्सिंग यूनिट पर लगे हुए नोजल संख्या ए-1 पर लगी सील को क्यों हटाया इसका श्री मदनलाल खटीक द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। मौके पर पाया कि डिस्पेन्सिंग यूनिट का संचालन पोर्टेबल जनरेटर होण्डा डब्ल्यूएस 20 एक्स मोनोसेट पम्प द्वारा किया जा रहा था। मौके पर बायो डीजल पम्प की डिस्पेन्सिंग यूनिट के अन्दर बनी हुई दोनों गरारियों को प्लास्टिक सील संख्या 1048289 व 1048290 से सील किया गया। टैंकर चालक की मौजूदगी में टैंकर संख्या GJ 10 TV 7923 का मापन किया गया तो क्रमशः खण्ड एक में 5000 लीटर, खण्ड दो में 5000 लीटर खण्ड तीन में 5000 लीटर व खण्ड चार में 3500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। टैंकर चालक से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व ट्रांसफर एवं बायो डीजल संचालक से भी उक्त विषय में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर दोनों ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये व ना ही कोई दस्तावेज होना स्वीकार किया जिस पर जरिये फर्द जब्ती तैयार कर वाहन संख्या GJ 10 TV 7923 मय 18500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व पोर्टेबल जनरेटर होण्डा मोनोसेट जब्त कर सदर थाना चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिये गये। टैंकर के चारों खण्डों से प्लास्टिक की बाल्टी से क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर 750-750 एम. एल. के तीन-तीन नमूने लिये जिन्हें क्रमशः मार्क ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2, सी-3 व डी-1, डी-2, डी-3 दिये गये। उसके पश्चात् टैंकर के चारों खण्डों के उपरी ढक्कनों एवं टैंकर के निकासी वाल्वों पर लगे हुए ढक्कनों को प्लास्टिक की सील से सील किया गया। इस प्रकार टैंकर संख्या GJ 10 TV 7923 के चालक श्री जितेन्द्र द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेज के पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण एवं परिवहन करना तथा बायो डीजल पम्प के संचालक श्री मदनलाल खटीक द्वारा भी पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण एवं अवैध ट्रांसफर तथा बायो डीजल के नोजल संख्या ए-1 पर दिनांक 22.12.2010 को लगाई गई राजकीय सील को बिना किसी सक्षम आदेश के तोडकर उक्त नोजल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का टैंकर में ट्रांसफर करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध पाया जाने से टैंकर संख्या GJ 10 TV 7923 मय 18500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं पोर्टेबल जनरेटर होण्डा मोनोसेट पम्प को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 06.07.2021 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवनारायण जाट ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र पेश किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन करने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 2 स्वदेशी बायो डीजल पम्प का मालिक होना स्वीकार है किन्तु उसके द्वारा बायो डीजल के डिस्पेन्सिंग यूनिट के नोजल संख्या-1 पर लगी हुई सील जिसे जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.12.2020 को सील किया गया था उक्त सील को उसके द्वारा नहीं तोड़ा गया है। उक्त प्रकरण में उसे झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है यदि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि जब्तशुदा वाहन एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है। उक्त वाहन, उसके रजिस्टर्ड स्वामी श्री फतेह सिंह को सिपुर्दगी में दिया जाता है एवं माल का निस्तारण किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 05/2021 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री जितेन्द्र पिता लाल साहब बिन्द निवासी कोलवारी जिला जौनपुर (उ. प्र.) वगैरा

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उदयपुर-जयपुर हाईवे पर ममता होटल के पास स्थित स्वदेशी बायो डीजल पम्प पर मौके पर वाहन टैंकर संख्या GJ 10 TV 7923 के खण्ड संख्या 4 से बायो डीजल पम्प की डिस्पेन्सिंग यूनिट ए-1 का नोजल जुड़ा हुआ पाया गया। उक्त टैंकर के तीनों खण्डों में क्रमशः 5000-5000 लीटर व खण्ड 4 में 3500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौके पर भरा पाया गया। उक्त बायो डीजल पम्प के दोनों नोजलों को जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.12.2020 को ब्रास सीलों से सील किया गया था जो कि मौके पर नोजल ए-1 की सील टूटी हुई पाई गई एवं पम्प मालिक श्री मदनलाल खटीक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा मौके पर वे बायो डीजल पम्प की नोजल तोडकर अवैध तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ को टैंकर में ट्रांसफर/स्थानान्तरित करते पाए गए। विपक्षीगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रखकर भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने एवं अवैध ट्रांसफर करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण, अवैध तरीके से उसका ट्रांसफर करना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 18500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय पोर्टेबल जनरेटर होण्डा मोनोसेट पम्प राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 09.02.2021 को जब्तशुदा कुल 18500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय पोर्टेबल जनरेटर होण्डा मोनोसेट पम्प को राजसात करने तथा जब्तशुदा वाहन टैंकर संख्या GJ 10 TV 7923 को 20.00 लाख रूपये का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उसके वैध स्वामी के पक्ष में रिलीज करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 18500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय पोर्टेबल जनरेटर होण्डा मोनोसेट पम्प को थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़